



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-17112025-267719
CG-UP-E-17112025-267719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947

No. 5009]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947

रेल मंत्रालय
(निर्माण संगठन)
(पूर्वोत्तर रेलवे)

अधिसूचना

गोरखपुर, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5178(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 'च' की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में खलीलाबाद — बहराईच खण्ड को नई रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए आर्बिटेटर के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्र०सं०	आर्बिटेटर	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W Con/247/BG/G/KLD-BRK/LA/Siddharthnagar]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(Construction Organization)****(North Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Gorakhpur, 13 November, 2025

S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (6) of section 20 (F) of the Railways Act 1989 (24 of 1989) the central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Arbitrator" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special railway Project of "Khalilabad- Bahraich section of New Line Project" in the state mentioned in column(4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special railway project.

SCHEDULE**Special Railway Project**

S.No.	Arbitrator	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	"District Magistrate, Siddharthnagar"	Siddharthnagar	Uttar Pradesh

[F. No. W Con/247/BG/G/KLD-BRK/LA/Siddharthnagar]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction